



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या: 1587/बी.एफ.टी./03/07-08

दिनांक

19.7.14

सेवा में,

श्री/श्रीमती, संजय कुमार वैनर्जी
अधिकृत हस्ताक्षरी मै0 गैंगटेक डवलपर्स प्रा0 लि0,
महमूदा बाग, स्टेट बिल्डिंग, 15-हजारागंज, लखनऊ।

महोदय/महोदया,

भवन/भूखण्ड संख्या-जी/सी-1, ताजनगरी-2, ताजगंज, आगरा में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शों में दर्शाया गया है निम्नांकित किये जाने की अनुज्ञा निम्नांकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूखण्ड में किसी प्रकार का स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी भी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्णक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा कारगिरी और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।
4. ऐसे निर्माण कार्यों के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृत अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में नकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उभार विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।
6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रायश्चानों का पालन करना होगा।
7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्न: स्वीकृति मानचित्र

भवदीय

मुख्य नगर अभियंता

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

संख्या.....तद दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनाार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनाार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं०.....दिनांक.....के सन्दर्भ में फायर के प्रायश्चानों को सुनिश्चित करावें।
4. प्रवर्तन अनुभाग को सूचनाार्थ।

मुख्य नगर नियोजक

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
परमिट फार्म (भाग-2)

परामिट संख्या:- 1597/वॉ.एफ.टी./03/07-08

ਸੰਖਿਆ ੭੭

श्री/श्रीमती. संजय कुमार द्विवेदी

वर्षिक आय हस्तासारी पै० गैजेटका उपलब्धता प्राप्त लि०

५-हासरायण लक्ष्मिक

अपि

अभिनिविष्ट शर्तों के अधीन ही जारी की जा रही है।

विपणन समिति विमर्शित करने के अर्थों में जारी हो रही है।

विश्विना क्षेत्र के प्रविधानों के अंगरूप और त्यमपरल इवनिपर एवं वसुविद द्वारा प्रनपित

डिजायन के अनुसार ही होगा।

विज्ञान के अनुशासन का विकास

(३) बापन निगम को परामर्शनामक विधिवत् अधिनियम, जिसके अन्तर्गत निगम को बापन निगम में काम से हटाने का अधिकार प्राप्त है, अन्तर्गत १९५४ में लगे।

[illegible][illegible]

(3) निर्माण कार्य का अग्रिमिष्ठ तर्कमूर्तकी निरीक्षण एक स्थान एकापर द्वारा ही किया जायेगा। केन्द्र/अधीनस्थ द्वारा नियुक्त एकापर द्वारा भी समस्त-स्तर पर निरीक्षण पर किया जायेगा।

(ग) यदि स्वीकृति से गिरी भी सर्व का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तर्कोंकी विशेषता को रिपोर्ट संवेदनक नहीं होती तो ऊपर के कार्य रकबाके हुए निम्नानुसार कार्य को अपाधिकृत माफ़ो सुट सीड भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णतः प्रमाणन नहीं मिलेगा अपितु अतः निम्नानुसार कार्य भी हो जायेगा।

(ग) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर इन विचारों एवं स्वामियों का, ऑफिसिड, सदस्यता इत्यादि निर्धारित होगा।

(*) स्थान लक्षितगी द्वारा कृषिगत मानचित्र भी बलाकार एवं मङ्गरुपल प्रती ।

[illegible]

(2) अनुमानित प्रयोगात्मक परिवर्तन का प्रमाण ही प्रमाणित करने के लिए प्रयोगात्मक प्रमाणों से

महानिज्य मास्य मासविद्य एवं मयकवण डिटेस ।

सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता, भारत

(८) ज्ञान भिवार्ण तेन आवश्यक् समल टी० एन्ड पी० स विवरण ।

(6) सागर इन्जिनिया इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(७) आवासीय परीक्षण निर्धारण एवं गन्तव्यता रजिस्टर।

के अंगणवाड़ी प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

रत्नाम्नः स्वीकृत्य भाग्यिन्

संलग्न: स्वीकार्य मानचित्र
(च) EIA का अंतिम संशोधन का अद्यतन पाठ्य संस्करण

अवर्चय

संख्या.....सद्विगिक

प्रतिनिधि:-

1. कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम आगरा को सूचना दे।
2. एअपलिसि अधिकारी आगरा विकास प्राधिकरण को सूचना दे।
3. मुख्य जग्गि मागन अधिकारी आगरा को इस आ पत्र के र

पुण्य ज्ञान सागन आभिकार, सागर का इस का एव
महान मे सागर १९७७
प्रमाणित को सति मत कर्णो

दिनांक.....

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा